न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–68/1997

CIS No. TS 157/2019

अशोक कुमार दीक्षित एवं अन्य..वादीगण

बनाम

जलेश्वर नाथ दीक्षित एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.06.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.05.2018 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 जलेश्वर नाथ दीक्षित के मृत्यु दिनांक 10.06.2014 को हो चुका है तथा इनकी पत्नी की भी मृत्यु वर्ष 2015 में हो चुका है। मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में तीन पुत्र अरविन्द कुमार दीक्षित, प्रमोद कुमार दीक्षित वो मनोज कुमार दीक्षित एवं दो लड़कियां निर्मला देवी और धीरज देवी को छोड़कर मरे है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी सं0–01 जलेश्वर नाथ दीक्षित के नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का कृपा किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 जलेश्वर नाथ दीक्षित की मृत्यु हो चुकी है, जिसे वादी भी	

<u>**न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज**</u>

<u>**स्वत्व वाद सं0–68/1997**</u>

<u>**CIS No. TS 157/2019**</u>

अशोक कुमार दीक्षित एवं अन्य..वादीगण

बनाम

जलेश्वर नाथ दीक्षित एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 03.06.2025	स्वीकार करते है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.05.2018 को स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक प्रतिवादी सं0–01 जलेश्वर नाथ दीक्षित का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता है। वाद दिनांक 11.06.2025 वास्ते अग्रिम कार्रवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	